<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003612016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—245/16</u> संस्थापित दिनांक—04.08.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

बिरुद्ध

01—अमरसिह पुत्र शंकर कोली आयु 20 वर्ष

02—श्रीमति लक्ष्मीबाई पत्नी दयाशंकर कोली आयु 50 वर्ष

निवासीगण पसियापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

आरोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— <u>(आज दिनांक 13.03.2018 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 3/181, 146/196 के विचारण हेत् प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रामगोपाल ने दिनांक 06.03.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.03.16 समय 06:00 बजे कंछेदी साहू के होटल के पास सदर बाजार चंदेरी में पहुचा तो पीछे से अमर कोली अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया एवं उसके पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसे चोटें आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध अपराध कमांक 122/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 3/181, 146/196 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 5/180, के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.03.16 को समय 18:00 बजे कंछेदी साहू के होटल के पास सदर बाजार चंदेरी पर मोटरसाइकिल को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर तेजी लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चालन कर आहत रामगोपाल सोनी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित की ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना

लायसेंस के चालित किया ?

- 4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चालित किया ?
- 5. क्या आरोपी लक्ष्मीबाई ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपके स्वामित्व के वाहन अमरिसह को चालित करने के लिए दिया जिसके पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वितत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामगोपाल, अ.सा.2 आशीष, अ.सा.3 संदीप, अ.सा.4 नवल किशोर, अ.सा.5 डॉ पंकज गुप्ता, अ.सा.6 डॉ एस एस छारी, अ.सा.7 रामविनायकसिंह, अ.सा.8 सोनू अ.सा.9 अनिल कुमार की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 रामगोपाल ने अपने कथन में बताया है कि घटना 06.03.16 की है। उक्त साक्षी के अनुसार वह दिल्ली दरवाजे से जा रहा था तब पीछे से आरोपी अमरिसह अपनी मोटरसाइकिल चलाते आया और उसे टक्कर मार दी। अ.सा.1 के अनुसार टक्कर लगने से वह गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार थाने से जब दीवानजी आए थे तब प्र0पी01 की रिपोर्ट उसने लेखवद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल छोड कर भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल छोड कर भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी अस्पताल में आ गया था तथा उसके भतीजे तथा लडके ने आरोपी का नाम बताया था। अ.सा.2 आशीष ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनाक को फरियादी जो कि उसके ताउ है का एक्सीडेट हो गया था।

08— उक्त साक्षी के अनुसार वह दुकान छोड़कर मौके पर पहुंचा था, उसने देखा कि उसके ताउजी की पैर की हड़डी टूट गई है तथा वह उन्हें लेकर अस्पताल गया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता है। अ. सा.3 संदीप ने भी अपने कथन में बताया है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार वह दुकान पर बैठा था तथा दुकान के आगे से कुछ लोग आए और बताया कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार वगल से मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें चोटें आई थी। अ. सा.3 के अनुसार मोटरसाइकिल चालक मौके पर ही था और साथ अस्पताल गया था। अ.सा.4 नवलिकशोर ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार थाने पर आरोपी की मोटरसाइकिल की जप्ती के सबंध में उसके हस्ताक्षर करवाए गये थे। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि जप्ती पत्रक प्रविपित्र करवाए थे। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस वालो ने उसे दस्तावेज पढ़कर सुनाए थे। अ.सा.8 सोनू पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने कोई जप्ती एवं गिरप्तारी की कार्यवाही नहीं हुई।

09— अ.सा.5 डॉ पंकज गुप्ता ने अपने कथन मे बताया है कि उनके द्वारा दिनाक 06.03.16 को आहत रामगोपाल का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत के शरीर पर दो चोटें आई थी। एक साधारण प्रकृति की थी। अ.सा.6 डॉ एस एस छारी का कहना है कि उन्होने दिनांक 13. 05.16 को आहत रामगोपाल का एक्सरे परीक्षण किया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी08 है। एक्सरे रिपोर्ट अनुसार आहत की फीमर हडडी के उपरी हिस्से में पुराना घाव भरा हुआ अस्थिभंग था जो आपरेशन का बाद का एम्पलाइंट किया हुआ था एवं आठ से दस सप्ताह के अंदर का था। उक्त साक्षी के अनुसार आहत के शरीर पर अस्थिभंग आठ से दस सप्ताह के अंदर की हो सकती है। उक्त साक्षी के अनुसार आहत को आई चोट

किसी भी एक्सीडेंट मे आ सकती है।

- 10— अ.सा.७ रामविनायकसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा फरियादी के बताये अनुसार प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने देहाती नालसी में वैसा ही लिखा था जैसा आहत ने उसे बताया था। अ. सा.९ अनिल कुमार जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी02 विवेचना के दौरान तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी से एक मोटरसाइकिल प्र0पी04 के अनुसार जप्त की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखवद्ध किये थे।
- 11— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। मामले के फरियादी ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने मोटरसाइकिल से उसे पीछे से टक्कर मारी थी। उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ.सा.2, अ. सा.3 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.4 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के कब्जे से ऐ मोटरसाइकिल जप्त की गई थी। अ. सा.4 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि उसके समक्ष आरोपी से मोटरसाइकिल को जप्त किया गया था, इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन से फरियादी को पीछे से टक्कर मारी गई थी।
- 12— अ.सा.5 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आहत को चोट आई थी। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आहत का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सूचना प्र0पी07 के माध्यम से थाना चंदेरी मे की गई थी। अ.सा.6 डॉ एस एस छारी की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि आहत को अस्थिमंग पाया गया था। उक्त साक्षी द्वारा आहत का एक्सरे परीक्षण दिनाक 13.05.16 को किया

गया है तथा प्रकरण में घटना दिनाक 06.03.16 है, इस प्रकार आहत का एक्सरे परीक्षण लगभग आठ से दस सप्ताह बाद किया गया है। अ.सा.6 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उनके द्वारा किये गये मेडिकल परीक्षण में यह पाया था कि आहत को पुराना घाव भरा हुआ अस्थिभंग था जो कि आठ से दस सप्ताह के अंदर का था। उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आहत को आई चोट एक्सीडेंट में आ सकती है। इस प्रकार अ.सा.6 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आहत के शरीर के शरीर पर अस्थिभंग घटना दिनांक को ही हुआ था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर अ.सा.6 की साक्ष्य को संशय की दृष्टि से देखा जाए। इस प्रकार प्रकरण में मामले के फरियादी के कथनो का अनुसर्मथन अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से हो रहा है और साथ ही फरियादी की साक्ष्य की संपुष्टि मेडिकल साक्ष्य से भी हो रही है।

- 13— अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी द्वारा बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के वाहन को चालित किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से लायसेंस एवं बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक को आरोपी के पास उक्त वाहन को चालित करने का लायसेंस था एवं यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक को प्रकरण के जप्तशुदा वाहन का वैद्य बीमा था। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि अभियोजन द्वारा मामले मे आरोपी को झूंठा फसाया गया है।
- 14— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी अमरिसह द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया है एवं आहत को टक्कर मारकर उसे घोर उपहित कारित की गई है। अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी अमरिसह द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा

वाहन को बिना वैद्य बीमा एवं बिना वैद्य लायसेंस के चालित किया गया। इस प्रकार स्वतः ही यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि आरोपी लक्ष्मीबाई ने आरोपी अमरसिह को प्रकरण मे जप्तशुदा वाहन चालित करने के लिए दिया जबिक आरोपी अमरसिह के पास वाहन को चालित करने का वैद्य लायसेंस नहीं था।

- 15— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी अमरिसह को भादिव की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप एवं आरोपी लक्ष्मीबाई को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।
- 16— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है। अतः आरोपीगण को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।
- 17— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपीगण द्वारा कारित अपराध यातायात से संबंधित है। यातायात के नियमो का पालन न करने के फलस्वरूप कई गंभीर दुर्घटनाए हो रही है। यदि आरोपीगण को ऐसे प्रकरण में परीवीक्षा का लाभ दिया गया तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 18— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और

साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी अमरसिंह को भादवि की धारा 279 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500 / – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम मे 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी अमरसिंह को भादवि की धारा 338 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम मे 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।, आरोपी अमरसिंह कां मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 अपराध में 500 / – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम मे 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी अमरसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 के अपराध में 500 / – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम मे 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी लक्ष्मीबाई को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध में 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम मे 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो मोटरसाइकिल काले रंग की जिसका रिजस्टेशन क्रमांक एम पी 67 एम वी 2115 जो पूर्व से सुपुदर्गी पर ह। अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

- 21— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 22— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)